<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 52 / 13

संस्थापन दिनांक : 05.02.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—गिर्राज पुत्र केदारनाथ राजौरिया उम्र 34 वर्ष
2—मंगल पुत्र मनीराम राजौरिया उम्र 21 वर्ष
3—मनीराम पुत्र स्व० अयोध्या प्रसाद राजौरिया उम्र 50 वर्ष

4—केदारनाथ पुत्र स्व० अयोध्या प्रसाद राजौरिया निवासी ग्राम रसनौल थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक......को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.01.13 को शाम पांच बजे या उसके लगभग रसनौल स्थित उमेश राजौरिया अ0सा03 के दरवाजे के सामने लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर जितेन्द्र अ0सा01 एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्तगणके साथ मिलकर फरियादी जितेन्द्र अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सभी ने फरियादी जितेन्द्र अ0सा01 की लाढियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी जितेन्द्र अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 18.01.13 को शाम करीब 5 बजे फरियादी जितेन्द्र अ0सा01 हार से लूसन की पुटरिया लेकर आ रहा था जैसे ही वह उमेश राजौरिया अ0सा01 के दरवाजे के सामने आया तो उसे

आरोपीगण गिर्राज, मंगल, मनीराम लाठियां लिए हुए मिले तथा कुंआ के पानी निकलने के विवाद पर उसे अश्लील गालियां देते हुए बोले कि वह उनके दरवाजे के सामने से पानी क्यों नहीं रोकता जब उसने गालियां देने से मना किया तो मंगल ने उसके एक लाठी मारी जो उसके दाहिने पैर की जांघ, पिंडली में लगी तथा एक लाठी गिर्राज ने मारी जो दाहिने पैर में लगी तथा एक लाठी केदार ने मारी जो उसके दाहिनी तरफ सिर में लगी और चोट होकर खून निकलने लगा तथा एक लाठी मनीराम ने मारी जो उसके दहिनी आंख के उपर लगी जिससे सूजन आ गयी तथा मंगल ने फिर एक लाठी मारी जो उसके दाहिने हाथ में लगी फिर सभी ने लाडियां मारीं जिससे उसके शरीर में जगह-जगह मूंदी चोटें आईं। मौके पर उमेश अ०सा०३, अनुराग अ०सा०५ थे जिन्होंने घटन देखी थी जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गया है आइन्दा जान से खतम कर देंगें। तत्पश्चात फरियादी जितेन्द्र अ०सा०१ ने थाना मौ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी–१ दर्ज कराई जिस पर थाना मौ में अप०क० 10/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय के समक्ष पेश किया गया

- 3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतू निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :—
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.01.13 को शाम पांच बजे या उसके लगभग रसनौल स्थित उमेश राजौरिया अ0सा03 के दरवाजे के सामने लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी जितेन्द्र अ0सा01 एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी जितेन्द्र अ०सा०१ को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सभी ने फरियादी जितेन्द्र अ०सा०१ की लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी जितेन्द्र अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक 02 का सकारण निष्कर्ष//

5. जितेन्द्र अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 18.01.13 को उमेश अ0सा03 के दरवाजे के सामने उसे आरोपीगण गिर्राज, मंगल और मनीराम मिले थे जिनके हाथ में लाठियां थीं। कुंए के पानी को आरोपीगण निकालने नहीं दे रहे थे जिस पर से विवाद हुआ था। उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया तो मंगलिसंह ने उसे लाठी मारी जो दाहिने पैर की जांघ में लगी गिर्राज ने लाठी मारी जो पैर में लगी, केदार ने लाठी मारी जो सिर में लगी और खून निकल आया, मनीराम ने लाठी मारी जो दाहिनी आंख के उपर लगी। मौके पर अनुराग अ0सा05 और उमेश अ0सा03 थे जिन्होंने घटना देखी थी। उसने घटना की रिपोर्ट

प्र0पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शामौका प्र0पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था और बयान लिए थे।

साक्षी अनुराग अ०सा०५ अभियोजन मामले से पक्षविरोधी रहा है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 18.01.13 को आरोपीगण ने जितेन्द्र अ०सा०1 की मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—5 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने स्वयं की घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है।

7. उमेश अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 16.09.14 से डेढ़ वर्ष पूर्व शाम पांच बजे वह अपने घर के दरवाजे पर था तब जितेन्द्र अ0सा01 अपने खेत से लूसन लेकर आ रहा था और उसके घर के सामने आरोपीगण मनीराम, केदार, गिर्राज व मंगल लाठी लेकर खड़े थे। मंगल ने जितेन्द्र अ0सा01 के पैर में लाठी मारी, गिर्राज ने सिर में लाठी मारी, केदार ने पैर में लाठी मारी, मनीराम वहीं खड़ा रहा परन्तु उसने लाठी नहीं मारी। उसने व अनुराग अ0सा05 ने बीच बचाव किया था।

8. साक्षी दीपक अ०सा०४ ने कथन किया है कि वर्ष 2012 के जनवरी माह में चार बजे जितेन्द्र अ०सा०1 खेत से गांव की ओर आ रहा था तब उमेश अ०सा०3 के घर के सामने आरोपीगण केदार, मंगल और गिर्राज ने जितेन्द्र की लाठियों से मारपीट की जिससे जितेन्द्र अ०सा०1 के सिर व हाथ पैर में चोटें आई थीं। ह ाटनास्थल पर अनुराग अ०सा०5 व उमेश अ०सा०3 मौजूद थे। उसने व अनुराग अ०सा०5 ने घटना में बीच बचाव किया था। मनीराम वहां उपस्थित नहीं था वह ठीक आदमी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मनीराम घटनास्थल पर मौजूद था जिसने जितेन्द्र की लाठियों से मारपीट की। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। फिर कथन किया है कि मनीराम मौके पर था परन्तु उसने मारपीट नहीं की।

डॉ० आर०विमलेश अ०सा०२ का कथन है कि वह दिनांक 18.01.13 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को ही आरक्षक मनोज नं० 71 थाना मौ द्वारा लाये जाने पर आहत जितेन्द्र अ०सा०1 पुत्र भगवान राजौरिया उम्र 23 वर्ष निवासी रसनौल का चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा किया गया जिसमें आहत को नील का निशान 3x2से.मी. साथ में खरोंच 2. 1x1/2से.मी. आकार की दाहिनी ओर ललाट के मध्य में तथा फटा हुआ घाव 3x1/2से.मी.x हड्डी तक गहरा दाहिनी ओर सिर में तथा नील का निशान 5. 6x1.5से.मी. दांदे घुटने पर तथा नील निशान 4.6x1.5से.मी. साथ में खरोंच 2से.मी. x1.5से.मी. दांये पैर के अग्रभाग में उपर की ओर तथा नील का निशान 2से.मी. x1.5से.मी. दांये पैर के घुटने पर तथा नील निशान 3से.मी.x1.5से.मी. दांये पैर के घुटने पर तथा नील निशान 3से.मी.x1.5से.मी. बांये पैर के घुटने में अंदर की ओर तथा नील निशान 13से.मी.x1.5से.मी. बांये पैर के घुटने में अंदर की ओर तथा नील निशान 3.4से.मी.x1.5से.मी. बांये पैर के घुटने में अंदर की ओर तथा नील निशान 3.4से.मी.x1.5से.मी. बांये और घुटने में बाहर की ओर

तथा नील निशान 2.6से.मी.X1.5से.मी. बांये पैर के उपरी हिस्से में तथा नील निशान 3.6से.मी.X1.5से.मी. दांयी ओर सिर में पीछे के भाग पर तथा नील निशान 3.1से.मी. X1.5से.मी. दांयी बाजू के मध्य बाहर की ओर तथा नील निशान 2.1से.मी.X1.5से.मी. दांयी ओर बाजू पर बाहर की ओर आदि चोटें थीं। उक्त समस्त चोट सख्त एवं कुंद वस्तु से आयी हुई प्रतीत होती हैं जो उसके परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थीं जिसकी प्रकृति जानने के लिए एक्स—रे की सलाह दी गयी थी। एक्स—रे में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स—रे रिपोर्ट प्र0पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

जितेन्द्र अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि गत 10. वर्ष उसने सरसों की फसल की थी जिसमें जनवरी माह में पानी देना पड़ता है और रात में भी पानी दिया जाता है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि घटना के समय भी खेत में पानी चल रहा था और यह भी स्वीकार किया है कि उसकी आरोपीगण से पुरानी रंजिश चली आ रही थी और स्वतः कथन किया ्है कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और यह घटना भी पुरानी रंजिश के कारण हुई है परन्तु इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसके द्वारा आरोपीगण की झूटी रिपोर्ट लिखाई गयी थी। उमेश अ०सा०३ ने प्रतिपरीक्षण में पैरा 2 में स्वीकार किया है कि जितेन्द्र अ0सा01 उसके परिवार का है परन्तु आरोपीगण से पुरानी रंजिश होने से इंकार किया है। यह भी स्वीकार किया है कि गांव में दो पार्टिया हैं। परन्तु दोनों को ही उनकी पार्टी में होना बताया है। दीपक अ०सा०४ ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि माह जनवरी में खेतों में पानी चल रहा था और रात व दिन में लाईट होने पर वह पानी देते थे। परन्तू इस सुझाव से इंकार किया है कि पुरानी रंजिश होने की वजह से उसके भाई ने आरोपीगण पर झूठा मुकद्दमा लगवाया है। बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी गयी है कि किन घटनाओं की कब से आहत व आरोपीगण के मध्य पुरानी रंजिश है। जितेन्द्र अ0सा01 ने पुरानी रंजिश में मात्र थोड़ी लड़ाई होना बताया है। एफ. आई.आर. प्र0पी-1 में भी घटना का कारण आरोपीगण द्वारा कुंए पर पानी निकालने से रोकने के कारण होना बताया है और मुख्यपरीक्षण में भी जितेन्द्र अ०सा०1 ने यही कारण बताया है। जितेन्द्र अ०सा०१ व दीपक अ०सा०४ ने घटना के समय खेतों में पानी देना स्वीकार किया है। अतः यह तथ्य सिद्ध होता है कि घटना के समय सिंचाई का कार्यक्रम चल रहा था और घटना का कारण भी एफ.आई.आर. प्र0पी–1 के अनुसार सिंचाई पर ही उत्पन्न हुआ है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तथ्यों से घटना का कारण भी स्पष्ट होता है और अकारण घटना भी होना अस्वाभाविक है। पूर्व की रंजिश के संबंध में भी बचाव पक्ष ने कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः रंजिश किस श्रेणी की थी आरोपीगण को मिथ्या फंसाया गया है यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः सिंचाई में अवरोध से घटना का कारण ही स्पष्ट होता है और इस तथ्य को बल प्राप्त नहीं होता है कि सिंचाई में अवरोध के कारण आरोपीगण को झुठा फंसाया गया है।

11. उमेश अ०सा03 ने और दीपक अ०सा04 ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण उनके ही परिवार के हैं और जितेन्द्र अ०सा01 से भी नातेदारी स्वीकार की है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण आहत के ही परिवार के साक्षीगण हैं। परन्तु वह आरोपीगण के भी परिवार के ही साक्षीगण हैं। घटनास्थल पर अन्य किसी साक्षीगण की उपस्थिति प्रमाणित नहीं हुई है। अतः मात्र परिवार के साक्षीगण होने से उन्हें स्वमेव हितबद्ध साक्षीगण नहीं माना जा सकता है। जब तक कि उनका कथन मिथ्या स्पष्ट न हो जोकि वर्तमान मामले में उपहित के बिन्दु पर स्पष्ट नहीं हुए हैं। 12. उमेश अ०सा०३ ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि मनीराम लाठी लेकर खड़ा था परन्तु मनीराम ने लाठी नहीं मारी। दीपक अ०सा४ ने मुख्यपरीक्षण में

प्रथमतः मनीराम की उपस्थिति से इंकार किया है लेकिन फिर कथन किया है कि मनीराम वहां मौजूद था परन्तु उसने मारपीट नहीं की और प्रतिपरीक्षण में भी यह जानकारी होने से इंकार किया है कि मनीराम के सस्राल में कार्यक्रम था जिसमें आरोपीगण गये हुए थे। एफ.आई.आर. प्र0पी–1 अथवा जितेन्द्र अ०सा०1 की न्यायालयीन साक्ष्य में दीपक अ०सा०४ घटना का प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं है। परन्तु कथन प्रपी—4 में व रिपोर्ट प्र0पी—1 में घटना के बाद भी उसका आना बताया है अतः धारा 6 साक्ष्य अधिनियम के अधीन दीपक अ०सा०४ के कथन स्संगत हैं। जितेन्द्र अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि मनीराम ने उसके दाहिने आंख के उपर लाठी मारी थी जिसकी संपृष्टि साक्षी डॉ० आर० विमलेश अ0सा02 के कथन से भी होती है। जिन्होंने दाहिनी ललाट पर चोट का उल्लेख किया है। अतः घटनास्थल पर मात्र मनीराम लाठी के साथ उपस्थित था और आहत ने मनीराम की किया भी बतायी है। यद्यपि उमेश अ०सा०३ व दीपक ्रिअ0सा04 ने मनीराम का मारपीट में सहयोग किया जाना नहीं बताया है परन्तू लाठी के साथ घटनास्थल पर उपस्थित रहना भी मनीराम का उपहति का सामान्य आशय उसके आचरण से स्पष्ट करता है। अतः मनीराम द्वारा मारपीट न किए जाने के संबंध में उमेश अ०सा०३ व दीपक अ०सा०४ के कथन से मनीराम द्वारा अपराध में भाग न लिया जाना नहीं माना जा सकता है।

13. साक्षी डॉ० आर०विमलेश अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि मुलाहिजा फार्म प्र०पी—3 में पांच चोटों का उल्लेख है लेकिन परीक्षण में 13 चोटें दिखाई गई हैं इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मुलाहिजा प्र०पी—3 में अस्पष्ट वर्णन है कि दाहिने हाथ में, दाहिने पैर की जांघ व पिंडली में व शरीर में जगह—जगह मूंदी चोटें उल्लिखित हैं।अतः शरीर में अन्य चोटेंा का वर्णन होने से उक्त सूची स्वयं में पिरपूर्ण नहीं है और चिकित्सक द्वारा शरीर के प्रत्येक हिस्से की चाट का वर्णन किया गया है जिससे मुलाहिजा प्र०पी—3 के पृष्ट ी॥ग व द्वितीय पन्ने पर उल्लिखित चोटेंा का विरोधाभासी नहीं माना जा सकता है। साक्षी डॉ०आरविमलेश अ०सा०२ के कथन में एक्सरे परीक्षण में भी तीन दिवस का विलम्ब स्पष्ट हुआ है परन्तु एक्सरे में कोई अस्थिभंग का उल्लेख नहीं पाया गया है न ही अस्थिभंग पर अभियोजन का मामला निर्भर है अतः उक्त तथ्य भी तात्विक नहीं है।

14. उमेश अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि जितेन्द्र को पेड से गिरने से चोटें आई थी। दीपक अ0सा04 ने भी प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है जितेन्द्र शराब पीकर आरसीसी रोड पर गिर गया था जिससे उसे चोटें आई। डॉ0 आर0विमलेश अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि प्र0पी—3 की चोटें पथरीली जगह या उंचे पेड सेगिरने से डगारों के टकराने से आ सकती हैं। परन्तु इस आशय का सुझाव स्वयं आहत जितेन्द्र अ0सा01 को नहीं दिया गया है कि वह पेउ से गिरा रथा या जमीन से टकराया था। अन्य दोनों साक्षीगण ने इस प्रकार जितेन्द्र को चोटें आने से इंकार किया है। अतः मात्र चिकित्सीय साक्ष्य से जितेन्द्र को आई चोटें किसी अन्य घटना में आना प्रमाणित नहीं माना जा

सकता है।

15. अतः यद्यपि अनुराग अ०सा०५ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है परन्तु उपहित के संबंध में जितेन्द्र अ०सा०१ ने स्पष्ट साक्ष्य दी है कि किस आरोपी ने किस वस्तु से उसे कहां मारा था। जिसकी संपुष्टि एफ.आई.आर. प्र०पी—१ से और चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है। प्रत्यक्ष साक्षी उमेश अ०सा०३ ने भी जितेन्द्र के कथन का समर्थन किया है और दीपक अ०सा०४ के कथन भी इस संबंध में सुसंगत प्रतीत हुए हैं। उक्त साक्षीगण के कथन को अविश्सनीय माने जाने का भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में जितेन्द्र अ०सा०१ की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।

🎤 🎷 विचारणीय प्रश्न कमांक १ व ३ पर सकारण निष्कर्ष / /

- 16. जितेन्द्र अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण उसे गालियां दे रहे थे और कहा था कि आज तो बच गया है आइन्दा जान से खतम कर देंगें। उमेश अ०सा०३ जोकि घटनास्थल पर उपस्थित था उसने इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि जिससे अभियोजन द्वारा वह पक्षविरोधी भी घोषित नहीं किया गया है। अतः उसके कथन अभियोजन पर बंधनकारी हैं। अनुराग अ०सा०५ ने अभियोजन के सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने जितेन्द्र अ०सा०१ को जान से मारने की धमकी दी थी और कथन प्र०पी—5 में भी आरोपीगण द्वारा जितेन्द्र अ०सा०१ को अश्लील गालियां दिए जाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने के तथ्य लिखाये जाने से स्पष्ट इंकार किया गया है।
- 17. दीपक अ०सा०४ ने भी मुख्यपरीक्षण में सुझाव स्वरूप स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने जितेन्द्र अ०सा०१ को जान से मारने की धमकी दी थी और अश्लील गालियां दी थी। परन्तु कथन प्र०पी—4 के अनुसार बीच बचाव के उपरांत वह पहुंचा था और जितेन्द्र अ०सा०१ ने भी उसकी उपस्थित नहीं बतायी है। अतः दीपक अ०सा०४ द्वारा सुझाव में दिए कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसके समक्ष गालियां दी गयी हों अथवा जान से मारने की धमकी दी गयी हों। जितेन्द्र अ०सा०१ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे क्या गालियां दी गयी थी जिससे कि समाधान हो सके कि उसे अश्लील गालियां दी गयी थी न यह कथन किया है कि वह भयभीत हुआ हो अथवा अभित्रस्त हुआ हो या आरोपीगण का आशय उसे अभित्रस्त करने का था। अतः जितेन्द्र अ०सा०१ के कथन से भी उक्त विचारणीय प्रश्न के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 18. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने जितेन्द्र अ0सा01 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया अथवा आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 19. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर आरोपीगण को धारा 323 / 34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 20. आरोपीगण को धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 21. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया

जााता है।

- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। 22. आरोपीगण द्वारा अकारण जितेन्द्र अ०सा०१ को उपहति कारित की गयी है। तत्समय जितेन्द्र अ०सा०१ अकेला था जिसे शरीर पर 13 चोटें आई हैं। अतः आरोपीगण द्वारा असंवेदनशील रूप से घटना कारित की गयी है। अतः आरोपीगण का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। 📉
- प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो। 23.

(गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

- आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा आरोपीगण को अल्पसजा दिए जाने का निवेदन किया गया। और मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया है।
- दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया । आहत जितेन्द्र अ०सा०१ को 13 चोटें आईं है। अतः मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना पर्याप्त नहीं है। अतः आरोपीगण को धारा 323 / 34 भा.द.स. के आरोप में दो माह का सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिकम की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
- धारा ३५७ द.प्र.स. के अधीन जमा अर्थदण्ड में से १५००/-रुपये क्षतिपूर्ति राशि आहत जितेन्द्र अ०सा०१ को अपील अवधि पश्चात संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- धारा ४२८ द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये कि आरोपीगण निरोध में 27. नहीं रहे हैं।
- प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है। 28. ALITHONIA PARETO

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0